<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 04.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा 2.50 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद कर 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में अवैध शराब, मादक पदार्थों की ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना खीरी पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1. मो0 अफजल पुत्र मो0 असलम नि0 मो0 डीहपुर कस्बा व थाना खीरी 2. मो0 वशी उर्फ अन्नू पुत्र मो0 हनीफ नि0 मो0 सैय्यदबाडा कस्बा खीरी थाना व जिला खीरी को मो0 पट्टीरामदास कस्बा खीरी से 02 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खीरी पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। विवरण निम्नवत है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>-

1.मो0 अफजल पुत्र मो0 असलम नि0 मो0 डीहपुर कस्बा खीरी थाना व जिला खीरीसंबंधित मु0अ0सं0 534/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act

2. मो0 वशी उर्फ अन्नू पुत्र मो0 हनीफ नि0 मो0 सैय्यदबाडा कस्बा खीरी थाना व जिला खीरी सम्बंधित मु0अ0सं0 535/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act ।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

1. मु0अ0सं0 534/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act थाना खीरी जिला खीरी

2.मु0अ0सं0 535/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act थाना खीरी जिला खीरी

<u>बरामदगी</u>

मु0अ0सं0 534/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act थाना खीरी जिला खीरी से संबंधित एक पुलिन्दा में 1.250 ग्राम डोडा

मु0अ0सं0 535/2022 धारा 8/15 N.D.P.S. Act थाना खीरी जिला खीरीएक पुलिन्दा में 1.250 ग्राम डोडा ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र सिंह चौकी प्रभारी कस्बा खीरी थाना व जिला खीरी

2. हे0का0 विश्वनाथ मिश्र थाना व जिला खीरी

3. का0 अंकित सिंह चौहान थाना व जिला खीरी

<u>**जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर के अंतर्गत की गई कार्यवाही**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2022 को राजापुर चौराहा, पंडित दीनदयाल चौराहा एवं सैधरी बाईपास पर आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में पंपलेट एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित म्यूजिक सुनाकर जानकारी दी गई। साथ ही (नेक आदमी) गुड सेमिनेटर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को (गोल्डन आवर) 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर ₹5000 प्रदेश स्तर पर ₹50000 के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि शीत ऋतु में कोहरे के कारण दुर्घटनाएं अधिक होने की संभावना बनी रहती है ऐसी स्थिति में रात्रि के समय रोड पर किसी भी दशा में अपने वाहन ना खड़ा करें रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं डबल ट्रैक्टर ट्राली लगाकर गन्ने को कदापि परिवहन न करें, आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। पैदल चलते समय हमेशा अपने बाई पटरी पर चले सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करे सड़क पर अकेले-अकेले चलना चाहिए , झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए |

सड़क पर चलते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए | सड़क पर चलते समय इयरफ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन

करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। यातायात नियमों के अनदेखी करने वालों वाहन चालको के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत 185 वाहनों का चालान किया गया।

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 04.11.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी 1.इन्द्रपाल पुत्र द्वारिका निवासी नगरा थाना पसगवां खीरी सम्बन्धित वाद संख्या 779/19 मु0अ0सं0 295/96 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 2.राजिक पुत्र स्व0 रशीद निवासी नगरा मोहदियापुर थाना पसगवां खीरी सम्बन्धित वाद संख्या 216/20 धारा 12 घरेलू हिन्सा अधि0 को गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-–</u>

1.इन्द्रपाल पुत्र द्वारिका निवासी नगरा थाना पसगवां जनपद खीरी

2.राजिक पुत्र स्व0 रशीद निवासी नगरा मोहदियापुर थाना पसगवां खीरी

<u>पुलिस टीम का विवरण:-</u>

1.उ0नि0 आदित्य प्रताप सिंह, थाना पसगवाँ

2.हे0का0 संतोष सिंह, थाना पसगवाँ

3.का0 आदर्श सिंह, थाना पसगवां

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त मेराज पुत्र ईब्राहिम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 03.11.2022 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 469/2022 धारा 354 भा.द.वि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मेराज पुत्र ईब्राहिम उर्फ अइठू नि0 नौरंगपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को बहराइच लखीमपुर रोड भरेहटा मोड से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त

मेराज पुत्र इब्राहिम उर्फ अइठू नि0 नौरंगपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप यादव थाना ईसानगर जनपद खीरी

2. हे0कां0 जितेन्द्र सिंह

3. हे0कां0 भद्रसेन सिंह

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ0सं0 2503/13 धारा 323/325/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त बदलू पुत्र हबीब निवासी बनिगवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

2. थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ0सं0 699/21 धारा 406/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र गुरूभेद सिंह निवासी खरवइया-2 थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 10 लीटर अवैध शराब बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **10 लीटर अवैध** कच्ची शराब बरामद कर **01 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **अभियोग** पंजीकृत किए गए।